न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/84 **दायरा दिनांक : 01.07.2024**

उनवान

मदनलाल पुत्र जगन्नाथ जी, उम्र 43 वर्ष, जाति धाकड, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांटगण

बनाम

1. प्रेम नारायण पुत्र मांगीलाल जी, जाति माली, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
2. नन्दलाल पुत्र मांगीलाल जी, जाति माली, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
3. दिनेश पुत्र मांगीलाल जी, जाति माली, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
5. मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ जी, जाति धाकड, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री लोकेश कुमार सैनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 11.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 283/प्रार्थना–पत्र/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट नं. 1 व रेस्पोडेंट नं. 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जीरापुर, तहसील खानपुर के आराजी खतौनी संख्या नया 64 व पुराना 59 की खसरा नं. 62 की रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 61 की 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 60 की 7 बीघा आराजी कुल 3 किता की 19 बीघा 02 बिस्वा आराजी स्थित है। जो प्रार्थीगण के खाते दर्ज है तथा इसी प्रकार ग्राम जीरापुर में ही प्रार्थीगण की आराजी के लगवा अप्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या नया 100 तथा पुराना 92 की खसरा नम्बर 94 की 12 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है तथा प्रार्थीगण की आराजी के समीप ही खसरा नम्बर 94 की 12 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी के समीप ही खसरा नम्बर 95 की 5 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अस्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना जो मात्र सरकारी रास्ते को खुलासा करवाने तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी से कब्जा हटाने के सम्बन्ध में पेश किया गया था उसका गलत अर्थ निकालकर निर्णय पारित किया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। ग्राम जीरापुर, तहसील खानपुर के आराजी खतौनी संख्या नया 64 व पुराना 59 की कुल 3 किता की 19 बीघा 02 बिस्वा आराजी स्थित है। जो प्रार्थी के खाते दर्ज है तथा ग्राम जीरापुर में ही प्रार्थी की आराजी के लगवा ही अप्रार्थीगण के खाता संख्या नया 100 तथा पुराना 92 की खसरा नम्बर 94 की 12 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी के समीप ही खसरा नम्बर 94 की 12 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी के समीप ही खसरा नम्बर 95 की 5 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 62 व 61 में प्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही खसरा नम्बर 95 जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है उसकी मेड पर होते हुए खसरा नम्बर 94 अपने खाते की भूमि पर पहुचते हैं और इसी रास्ते से होकर प्रार्थी व उसके पूर्वज आते जाते रहे हैं तथा प्रार्थी व उसके पूर्वज अपनी आराजी खसरा नम्बर 94 पर आने जाने, हल कुली, बैल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये आराजी खसरा नम्बर 95 गैर मुमकिन रास्ते से होकर अप्रार्थीगण के खाते की मेड से होकर अपने खाते में आते जाते हैं लेकिन अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट जो कि एक ताकतवर व्यक्ति ने जबरन आराजी खसरा नम्बर 95 को अपने खेत में मिलाकर जबरन काश्त करना शुरू कर दिया है तथा प्रार्थी का अपने खेत पर आने जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। उक्त रास्ते को ही खुलासा करवाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सहवन से धारा 251 के स्थान पर 251–क– दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है जबकि समस्त प्रार्थना पत्र रास्ता खुलासा करने के सम्बन्ध में है। मोहनलाल अपील पेश करने नहीं आया है इसलिए प्रफोर्मा रेस्पोडेंट बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थीगण से प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता खुलासा करवाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम जीरापुर, तहसील खानपुर के आराजी खतौनी संख्या नया 64 व पुराना 59 की कुल 3 किता की 19 बीघा 02 बिस्वा आराजी पर पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले प्रचलित रास्ता जिसे अप्रार्थीगण

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा बन्द कर दिया है। उसका खुलासा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम जीरापुर, तहसील खानपुर के आराजी खतौनी संख्या नया 64 व पुराना 59 की कुल 3 किता की 19 बीघा 02 बिस्वा आराजी पर पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले प्रचलित रास्ता जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया है। उसका खुलासा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी पर प्रार्थी खसरा नं. 95 जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है उसकी एवं खसरा नम्बर 94 जो अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है, की मेड पर होकर अपने खाते की आराजी पर पहुंचते रहे हैं। वर्तमान में अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने खसरा नम्बर 95 जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, को अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 94 में मिला लिया है और इस पर काश्त कर रहे हैं और प्रार्थीगण का अपने खेत पर जाने का रास्ता रोक दिया है उक्त आराजी पर पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नहीं है। अतः रास्ते का खुलासा करवाया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.05.2024 को निर्णय पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में विद्यमान रास्ता दर्ज गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 95 को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्रस्तुत किया गया है। जबकि अन्तर्गत धारा 251 (क) में अन्य खातेदार की जोत से नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करने का प्रावधान है। पूर्व में विद्यमान रास्ते को खुलवाने एवं सुखाचार के मामले अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का अपने खेत पर आने जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। उक्त रास्ते को खुलासा करवाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में सहवन से धारा 251 के स्थान पर धारा 251(क) दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त किया जाये एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता खुलासा करवाया जाए।

प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं वर्तमान विचाराधीन अपील के अवलोकन के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में किसी खातेदार की खाते की आराजी पर पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता एवं अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नया मार्ग कायम करने या मौजूदा मार्ग का विस्तार करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किया गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र में नये रास्ते की या विद्यमान रास्ते का विस्तार करने की मांग नहीं करके मौजूदा मार्ग का खुलासा करवाने की प्रार्थना की है। धारा 251 (क) में मौजूद रास्ते का खुलासा करवाने का प्रावधान नहीं है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मौजूदा रास्ते का खुलासा करने के प्रावधान विद्यमान है परन्तु उसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जो निर्णय पारित किया गया है वह हमें उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थी का यह कथन है कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में सहवन से धारा 251 के स्थान पर धारा 251 (क) दर्ज हो गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के जेर अपील निर्णय को निरस्त करते हुए रास्ते का खुलासा करवाया जाये परन्तु धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान नहीं किया गया है। धारा 251 भू धारक को उसके मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार का अधिकार का आनन्द लेने में आयी बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त जांच द्वारा उपचार प्रदान करती है। इसमें प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार को प्रदान किया गया है। अतः अपीलांट धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 251 व 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 धारा 251 (क) के विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा